

19 <sup>12</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी अवस्थित  
नहीं। पत्रावली से सम्बंधित दावा अदम फरवी,  
अदम राजरी में खारिज किया जा चुका है अतः  
पत्रावली इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली  
चौधरी श्रुमान डेकर बाद तबतीब तजमील दाखिल  
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
बीकानेर शहर

